

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 (फाल्गुन 11, 1944)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 को अपरान्ह 1:14 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

1. श्री नारायण चंदेल
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री ननकीराम कंवर
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री धरमलाल कौशिक
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी
10. श्री रजनीश कुमार सिंह
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्री अजय चंद्राकर सदस्य द्वारा कुछ समय पश्चात् गर्भ गृह में प्रवेश किया। अतः वे भी स्वयमेव निलंबित हो गये।

आसंदी द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन अपरान्ह 2:49 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा